उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-106/2019/1607/92-2-19-81जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2011-12 के अंतर्गत नवीन राजकीय हाईस्कूल भवन के निर्माण कार्य तथा नक्सल प्रभावित ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्यो एवं सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 85,477.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1110/92-2-18-81जांच/2016 दिनांक 08-05-2018 द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मिर्जापुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्याचल मिर्जापुर के पत्र संख्या-801/ग्रा0अ0वि0/जांच-मिर्जापुर/17-18 दि0 03-01-2019 व पत्र सं0-393/ग्रा0अ0वि0/ जांच-मिर्जापुर/19-20 दिनांक 17-07-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच में अपचारी अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही बताया गया है। अतएव अपचारी अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-05-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-106/2019/1607(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
2- श्री हरेन्द्र सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति प्रखण्ड-औरैया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नरायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in